कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंदावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष : 2511920, फैक्स नं. 2511918, ईमेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / अंकेक्षण–1 / 2014 / 5548 नया रायपुर, दिनांक 18/ 11 / 2014

–: रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण :–

सहकारी संस्थाओं के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की पंजीयक द्वारा अनुमोदित सूची तैयार करने हेतु आवेदन मंगाये जाने के संबंध में सूचना।

छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के तहत प्रदेश के शीर्ष केन्द्रीय एवं प्राथमिक स्तर की विभिन्न वर्गों एवं भिन्न कारोबार वाली लगभग 8000 सहकारी संस्थाओं के सांविधिक संपरीक्षा हेतु अनुमोदित पैनल में शामिल होने के लिए इच्छुक, योग्य एवं अनुभवी संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म के प्रस्ताव नवीन योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म	योग्यता	लेखों की संपरीक्षा का अनुभव
1	पार्टनरशीप संपरीक्षा फर्म	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत एक से अधिक पार्टनर सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय /शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष
2	प्रोपराईटर संपरीक्षा फर्म	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय/शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष
3	संपरीक्षक	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय /शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष

आवेदन का प्रारूप, संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म की योग्यता तथा अनुभव का विस्तृत विवरण, सहकारी संस्थाओं का विवरण तथा आवेदन हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तों की जानकारी सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट htpp://cgstate.gov.in & htpp://coop.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक दिनांक 17 / 12 / 2014 तक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित परिपूर्ण कर संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (04 संभागीय कार्यालयों रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर) एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय रायपुर में कार्यालयीन समय में सायं 04:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर विचार

PDC 27 NOV 2014 RECEIVED Sign New Delhi

नहीं किया जायेगा। पात्र संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म की सूची विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 29/12/2014 के पश्चात् अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

पूर्व में दिनांक 25/09/2013 के अनुसार अनुसूचित संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु संशोधित मापदंडों के अनुरूप अतिरिक्त जानकारी एवं अन्य किसी परिवर्तन के संबंध में (पता, संविधान में संशोधन) की जानकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में पूर्व अनुसूचीकरण अनुसार, नवीन अनुसूचीकरण में शामिल किया जायेगा।

12.11.14

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0क्र0/अंकेक्षण–1/2014/ 5548 नया रायपुर, दिनांक :18/11/2014

प्रतिलिपि :–

01 विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ।

02 प्रबंध संचालक, समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाऐं, छ0ग0।

03 मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छ0ग0।

04 सचिव, प्रोफेशनल, डेव्हलेपमेंट कमेटी, दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट बाक्स नंबर 71000, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली – 11002।

05 संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, (समस्त) छ0ग0।

06 उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, (समस्त) छ0ग0।

07 महाप्रबंधक/प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) छ0ग0।

08 महाप्रबंधक/प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित (समस्त) छ0ग0।

09 प्रबंध, जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार (समस्त) छ0ग0।

10 प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (समस्त) छ0ग0।

11 प्रबंधक, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ (समस्त) छ0ग0।

12 प्रबंधक, जिला सहकारी संघ (समस्त) छ0ग0।

13 प्रबंधक, विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाऐं, (समस्त) छ0ग0।

संभागीय एवं जिला अधिकारी तथा शीर्ष एवं केन्द्रीय संस्थाओं के प्रबंधक संबद्ध प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार संसूचित करें।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़